।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन न: 0141–2228066, फैक्स न: 0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2026-27/652 दिनांक : 15/06/26

आदेश

M/s Agron Remedies Pvt Ltd, Sarvarkhera, Moradabad Road, P.B.No.-03 Kashipur, Uttarakhand-244713 से निविदा क्रमांक F.02(392)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2024/96 दिनांक 12.01.2024 के तहत् औषधि Cefixime Oral Suspension IP [NRD-482] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 901 दिनांक 15.05.2025 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि औषधि के बैच संख्या DS250072, DS250073, DS250076 एवं DS250082 को जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जाँच में औषधि Cefixime की मात्रा Limit-90-110% के मुकाबले बैच संख्या DS250072 में Cefixime की मात्रा (39.32%) पाई गई, बैच संख्या DS250073 में Cefixime की मात्रा (53.94%) पाई गई के बैच संख्या DS250076 में Cefixime की मात्रा (43.98%) पाई गई बैच संख्या DS250082 में Cefixime की मात्रा (47.06%) पाई गई जो कि निगम के विर्वजन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के उक्त बैच की अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। फर्म को दिनांक 08.05.2026 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। प्रकरण अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.05.2026 में रखा गया, फर्म की और से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। फर्म की और से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति सदस्यों के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया।

पूर्व में फर्म द्वारा अमानक कोटि (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में औषधिया आपूर्ति करने के कारण आदेश क्रमांक 2453 दिनांक 13.01.2026 द्वारा 05 वर्ष (60 Month) के लिए विवर्जित (Debar) किया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा औषधि के उपरोक्तानुसार बैच को निगम के विर्वजन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार Spurious or Adulterated की श्रेणी में अमानक कोटि के घोषित किया गया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत अमानक एवं निगम के विवर्जन संबन्धी दिशा–निर्देशों के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के तहत Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं। निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की

RajKaj Ref No.:
22681343

Signed by: Pukhraj Sen, Managing Director
Date: 2026-06-15 14:13:39 +05:30

गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध मे जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों के क्लॉज संख्या 4.8 एवं 11 (ii) कमशः निम्नानुसार है:–

4.8 - In case, any sample (even one batch) is declared as **Not of Standard Quality** by an empanelled lab or Govt. Lab which falls in **Spurious or Adulterated** category and if such failure is further confirmed by Govt. Lab during its entire shelf life, the **Company** shall be liable for debarring for a period of **not less than 5 years.**]

11(ii):-On the basis of quantitative analysis (Assay), the NOSQ drug shall be distinguished in the following manner:-

Category of NOSQ drugs	Active ingredient content (Assay)	
	Thermo stable	Thermolabile
Minor	Upto 5% less than the prescribed lower limit	Above 70% to the prescribed lower limit
Grossly Substandard	Below 5% of the prescribed lower limit to 50%	70% to 40%
Spurious	Below 50%	Below 40%

अतः निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.05.2026 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Agron Remedies Pvt Ltd, Sarvarkhera, Moradabad Road, P.B.No.-03 Kashipur, Uttarakhand-244713 को यह आदेश जारी करने की तिथि से 05 वर्ष (60 Months) के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है एवं फर्म को उक्त बैच वापस (Return) लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref No.: 22681343

Signed by: Pukhraj Sen, Managing Director
Date: 2026-06-15 14:13:39 +05:30

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2026-27/652 दिनांक : 15/06/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/उत्तराखंड ।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. निदेशक प्रोक्योरमेन्ट, आर.एम.एस.सी.।
11. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त बैच के समस्त स्टॉक को फर्म को लौटाया जाना (Return) सुनिश्चित करें।
13. M/s Agron Remedies Pvt Ltd, Sarvarkhera, Moradabad Road, P.B.No.-03 Kashipur, Uttarakhand-244713
14. आदेश पत्रावली

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref No.: 22681343

Signed by: Pukhraj Sen, Managing Director
Date: 2026-06-15 14:13:39 +05:30